

बिहार विधान सभा वाङ्मन ।

बृहस्पतिवार, तिथि ४ फरवरी १९६० ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बृहस्पतिवार, तिथि ४ फरवरी १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

विधान परिषद् से प्राप्त संदेश ।

MESSAGE FROM THE LEGISLATIVE COUNCIL.

SECRETARY TO ASSEMBLY : Sir, the following message has been received from the Bihar Legislative Council :

The Darbhanga Sanskrit University Bill, 1958, which was passed by the Bihar Legislative Assembly on the 21st December 1959, was passed with amendments by the Bihar Legislative Council at its meeting held on the 30th December 1959.

विधान कार्य :

Legislative Business.

सरकारी विधेयक :

OFFICIAL BILL.

बंगाल, आगरा एंड आसाम सिविल कोर्ट्स (बिहार अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६० (१९६० की वि० सं० १) ।

[THE BENGAL, AGRA AND ASSAM CIVIL COURTS (BIHAR AMENDMENT) BILL, 1960 (L.A. BILL NO. 1 OF 1960).]

श्री सैयद मुहम्मद अकील—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बंगाल, आगरा एंड आसाम सिविल कोर्ट्स (बिहार अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि बंगाल, आगरा एंड आसाम सिविल कोर्ट्स (बिहार अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सैयद मुहम्मद अकील—मैं बंगाल, आगरा एंड आसाम सिविल कोर्ट्स (बिहार अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६० को पुरःस्थापित करता हूँ ।
विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

श्री दशस्थ तिवारी—श्री सभापति सिंह तो ठीक ही कह रहे हैं। वे मिडल स्कूल के बारे में बोल रहे हैं।

श्री सभापति सिंह—मैं पूरी जवाबदेही के साथ बात करता हूँ। मैंने कहा कि सरकार ऑफिशियल को रख कर, आप जानते हैं कि सब-इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स प्राइमरी स्कूलों को कंट्रोल करते हैं, सबडिवीजन में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स सबडिवीजन भर के मिडल स्कूल तथा हाई स्कूलों को सुपरवाइज करते हैं, इस तरह से एक ही तरह के ऑफिशियल प्राइमरी स्कूलों से लेकर हाई स्कूल तक को सुपरवाइज करते हैं, इसलिए मेरा चार्ज है कि उनको मैनेजिंग कमिटी में रख कर पंसा बचाएंगे नहीं बल्कि पंसे का दुरुपयोग कराएंगे।

अध्यक्ष—अब आप बैठ जाइए।

श्री बट्टी सिंह प्रवर समिति के सदस्यों की सूची पेश करें।

बिहार शोप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट (अमैंडमेंट) बिल, १९६० (१९६० की बि० सं० २)।
THE BIHAR SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL, 1960
(L. A. BILL NO. 2 OF 1960).

श्री बट्टी सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जिस प्रवर समिति को बिहार शोप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट (अमैंडमेंट) बिल, १९६० सौंपा गया है, उसके ये सदस्य हों:—

(१) श्री विनोदानन्द झा—सभापति।

सदस्य।

(२) श्री एस०एम० अकील।

(३) श्री राम नारायण शर्मा।

(४) श्री मोहम्मद लतीफुर रहमान।

(५) श्री सुखदेव नारायण सिंह। (पूर्णवां)

(६) श्री बबूए लाल महतो।

(७) श्री बी०जी० गोपाल।

(८) श्रीमती सुमित्रा देवी।

(९) श्री लहटन चौधरी।

(१०) श्री शीतल प्रसाद गुप्त।

(११) श्री रामचन्द्र शर्मा।

(१२) श्री यमुना प्रसाद त्रिपाठी।

(१३) श्री धनंजय महतो।

- (१४) श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल।
- (१५) श्री श्याम चरण मुर्मू।
- (१६) श्री कृपा उरांव।
- (१७) श्री कामदेव सिंह।
- (१८) श्री रामेश्वर प्रसाद महथा।
- (१९) श्री रामकृष्ण राम।
- (२०) श्री देवनन्दन प्रसाद, तथा
- (२१) श्री बद्री सिंह, (प्रस्तावक)।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जिस प्रवर समिति को बिहार शौप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स

(अमंडमेंट) बिल, १९६०, सौंपा गया है, उसके ये सदस्य हों :—

- (१) श्री बिनोदानन्द झा—सभापति।
सदस्य।
- (२) श्री एस०एम० अकील।
- (३) श्री राम नारायण शर्मा।
- (४) श्री मोहम्मद लतीफुर रहमान।
- (५) श्री सुखदेव नारायण सिंह।
- (६) श्री बबुए लाल महतो।
- (७) श्री वी०जी० गोपाल।
- (८) श्रीमती सुमित्रा देवी।
- (९) श्री लहटन चौधरी।
- (१०) श्री शीतल प्रसाद गुप्त।
- (११) श्री रामचन्द्र शर्मा।
- (१२) श्री यमुना प्रसाद त्रिपाठी।
- (१३) श्री धनंजय महतो।
- (१४) श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल।
- (१५) श्री श्याम चरण मुर्मू।
- (१६) श्री कृपा उरांव।
- (१७) श्री कामदेव सिंह।
- (१८) श्री रामेश्वर प्रसाद महथा।
- (१९) श्री रामकृष्ण राम।
- (२०) श्री देवनन्दन प्रसाद, तथा
- (२१) श्री बद्री सिंह।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा शुक्रवार, तिथि ५ फरवरी, १९६० को ११ घंटे दिन तक स्थगित की गई।

पटना :

इनायतुर रहमान,

सचिव,

तिथि ४ फरवरी, १९६०।

बिहार विधान-सभा।